भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 594

जिसका उत्तर 04.02.2026 को दिया जाना है

नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन

594 श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) की तैनाती का दायरा और उद्देश्य क्या-क्या है;

(ख) वर्तमान में शामिल किए गए भाग और राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) एन.एस.वी. के माध्यम से संग्रहीत किए जा रहे फुटपाथ स्थिति और सड़क इन्वेंट्री आंकड़ों के प्रकार और ऐसे सर्वेक्षणों की आवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) एन.एस.वी. द्वारा संग्रहीत आँकड़ों का एन.एच.ए.आई. के ए.आई.-आधारित डेटा लेक प्लेटफॉर्म पर किस प्रक्रिया के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है; और

(ङ) आँकड़ों का उपयोग अनुरक्षण योजना के लिए किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की परिसंपत्ति सूचीकरण और सड़क की स्थिति की निगरानी के लिए आंकड़े एकत्र करने हेतु नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) तैनात किए जाते हैं।

फुटपाथ की स्थिति का आकलन करने और रखरखाव संबंधी योजना बनाने के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल आधारित डेटा का उपयोग किया जाता है। इन सर्वेक्षणों/परीक्षणों के परिणामों के आधार पर, अनुबंध करार के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित ठेकेदारों/रियायतग्राहियों कर्ताओं के माध्यम से फील्ड इकाइयों द्वारा आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाते हैं।

(ख) देश के लगभग सभी राज्यों को कवर करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर नेटवर्क सर्वे वाहन (एनएसवी) तैनात किए जाते हैं।

इसके अलावा, इस परियोजना के तीसरे चरण के तहत, एनएसवी को देश के 23 राज्यों में लगभग 21000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तैनात किया जाएगा।

(ग) एनएसवी सर्वेक्षणों के दौरान देखी गई प्रमुख फुटपाथ सतह की समस्याएं खुरदरापन, गड्ढे, दरारें, खड्डे और परत का उखड़ना हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन एवं रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है और राजमार्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वेक्षण (एनएसवी) किए जाते हैं। एनएसवी सर्वेक्षण

समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। सामान्य तौर पर, एनएसवी सर्वेक्षण निम्नलिखित तीन चरणों में किए जाते हैं:

i. राजमार्ग विकास कार्य शुरू होने से पहले,
ii. कार्य पूर्ण होने के समय, और
iii. संचालन एवं रखरखाव चरण के दौरान प्रत्येक छह महीने के अंतराल पर।

(घ) और (ङ) एनएसवी सर्वेक्षणों के माध्यम से चिन्हित की गई खामियों की सूचना ठेकेदार/रियायतग्राही को देने और आवश्यक सुधार के लिए डेटा लेक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। पोर्टल के माध्यम से स्वचालित सूचनाएं तैयार और जारी की जाती हैं। इसके अलावा, ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा अनुबंध करार के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर इन खामियों के सुधार के लिए की गई कार्रवाई की निगरानी डेटा लेक के माध्यम से की जाती है।
नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से राजमार्ग परिसंपत्तियों की सूची और फुटपाथ की स्थिति के लिए एकत्र किए गए डेटा को योजना और बजट बनाने के उद्देश्यों के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (आरएएमएस) पर अपलोड किया जाता है।
